

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

डी.बी. आयकर अपील संख्या 248/2018

प्रधान आयकर आयुक्त जयपुर-द्वितीय, जयपुर

----अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, जनपथ मार्ग, ज्योति नगर,
जयपुर

----प्रतिवादी

अपीलकर्ता (ओं) के लिए : श्री अनुरूप सिंघी के साथ
श्री एन.एस. भाटी एवं
श्री आदित्य खण्डेलवाल
प्रतिवादी (ओं) के लिए : श्री प्रकुल खुराना,
श्री रजत शर्मा के साथ

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

माननीय श्रीमान. न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

आदेश

25/09/2024

अवनीश झिंगन, न्यायमूर्ति:

- यह अपील आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 260ए के अंतर्गत आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, जयपुर पीठ, जयपुर (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित दिनांक 27.02.2018 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है।
- संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रतिवादी-कंपनी विद्युत वितरण का कार्य करती है। कर निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिए रिटर्न दाखिल किया गया था और अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत कर निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया था। कर निर्धारण कार्यवाही में दो मुद्दे उठे। सबसे पहले, क्या कटौती की अनुमति दी जा सकती है यदि कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारी का हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (संक्षेप में 'ईपीएफ अधिनियम')

और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (संक्षेप में 'ईएसआई अधिनियम') में निर्धारित तिथि के बाद जमा किया जाता है। दूसरा, व्यय की कटौती का दावा करने वाले टीडीएस के देर से जमा होने का प्रभाव।

3. प्रतिवादी द्वारा दायर अपील आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा स्वीकार कर ली गई थी और अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दी गई थी, इसलिए यह अपील।

4. निम्नलिखित महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों पर 19.05.2023 को अपील स्वीकार की गई:

“(1) क्या ITAT का यह विचार कि भविष्य निधि और ESI में कर्मचारियों का अंशदान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43B के प्रावधानों द्वारा शासित होता है, न कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(24)(x) के साथ पठित धारा 36(1)(va) द्वारा, चेकमेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त-I (सिविल अपील संख्या 2833/2016, 12.10.2022 को निर्णीत) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर कानूनन टिकने योग्य है?

(2) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, संबंधित अधिनियमों में प्रदान की गई निर्धारित समय सीमा के बाद भविष्य निधि में कर्मचारियों के अंशदान को जमा करने के लिए किए गए 37295533/- रुपये के जोड़ को हटाने में ITAT कानूनी रूप से उचित था?

(3) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में आईटीएटी द्वारा टीडीएस के देरी से जमा करने के कारण धारा 40(ए)(आईए) के तहत 131473/- रुपए की अस्वीकृति के संबंध में सीआईटी(ए) के निर्णय की पुष्टि करना कानूनी रूप से उचित था, यह देखते हुए कि वित्त अधिनियम 2010 द्वारा धारा 40(ए)(आईए) में किया गया संशोधन पूर्वव्यापी प्रकृति का था?

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

6. मूल प्रश्न संख्या 1 और 2, चेकमेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त-1 **(2022) 448 आईटीआर 518** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा कवर किए गए हैं। यह माना गया था कि नियोक्ता द्वारा काटे गए भविष्य निधि में कर्मचारी का हिस्सा ईपीएफ अधिनियम और ईएसआई अधिनियम द्वारा निर्धारित नियत तिथि के अनुसार जमा किया जाना चाहिए, न कि अधिनियम की धारा 43बी के अनुसार। ईपीएफ अधिनियम और ईएसआई अधिनियम के तहत कर्मचारियों के अंशदान की राशि को संबंधित अधिनियम द्वारा निर्धारित

नियत तिथि के बाद जमा करने में करदाता के पास कोई छूट नहीं है। केवल ईपीएफ अधिनियम और ईएसआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में राशि जमा करने पर ही रोकी गई राशि को कटौती के लिए माना जाता है।

निर्णय का प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत है:

“54. इस न्यायालय की राय में, विवादित निर्णय में यह तर्क कि गैर-बाधा खंड किसी भी तरह से नियोक्ता के उस दायित्व को कम या रद्द नहीं करेगा जिसके तहत वह कर्मचारी की आय से अपने द्वारा रखी गई या काटी गई राशि जमा करता है, जब तक कि यह शर्त न हो कि वह नियत तिथि पर या उससे पहले जमा की जाए, सही और न्यायोचित है। गैर-बाधा खंड को धारा 43बी के संपूर्ण प्रावधान के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य कर, ब्याज भुगतान और अन्य वैधानिक देयताओं के रूप में करदाता द्वारा वहन की जाने वाली कुछ देनदारियों का रिटर्न दाखिल करने से पहले समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है। इन देनदारियों के मामले में, नियत तिथि क्या है, यह कानून द्वारा परिभाषित किया गया है। फिर भी, करदाताओं को कुछ छूट दी गई है कि जब तक जमा नियत तिथि के बाद, लेकिन रिटर्न दाखिल करने की तिथि से पहले किया जाता है, तब तक कटौती की अनुमति है। हालाँकि, यह उन राशियों के मामले में लागू नहीं हो सकता जो ट्रस्ट में रखी जाती हैं, जैसा कि कर्मचारियों के अंशदान के मामले में होता है - जिनकी कटौती उनकी आय। वे करदाता नियोक्ता की आय का हिस्सा नहीं हैं, न ही वे वैधानिक भुगतान के रूप में कटौती के प्रमुख हैं। वे दूसरों की आय, धन हैं, जिन्हें केवल आय माना जाता है, इस उद्देश्य से कि उन्हें विशेष कानून में निर्दिष्ट नियत तारीख के भीतर भुगतान किया जाता है। उन्हें ऐसे कल्याणकारी अधिनियमों के अनुसार जमा करना होगा। यह उन अधिनियमों के अनुसार और ऐसे संबंधित कानून द्वारा अनिवार्य नियत तारीखों को या उससे पहले जमा करने पर है, कि राशि जो अन्यथा रखी जाती है, और एक आय मानी जाती है, उसे कटौती के रूप में माना जाता है। इस प्रकार, यह कटौती के लिए एक आवश्यक शर्त है कि ऐसी राशि नियत तारीख को या उससे पहले जमा की जाए। यदि इस तरह की व्याख्या को अपनाया जाता है, तो धारा 43 बी के तहत गैर-बाधक खंड या उस प्रावधान में निहित कुछ भी करदाता को कटौती की शर्त के रूप में नियत तारीख को या उससे पहले कर्मचारी के योगदान को जमा करने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगा।

7. चेकमेट (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर, मूल प्रश्न संख्या 1 और 2 का उत्तर अपीलकर्ता-विभाग के पक्ष में दिया जाता है।

8. मूल प्रश्न संख्या 3, वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 40(ए)(आईए) में किए गए संशोधन की प्रयोज्यता की तिथि के संबंध में है, जो अब पुनः एकीकृत नहीं है।

9. आयकर आयुक्त कोलकाता **XII** बनाम कलकत्ता एक्सपोर्ट कंपनी, जिसे **[2018] 404** आईटीआर **654 (एससी)** के रूप में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संशोधन पूर्वव्यापी है और निर्धारण वर्ष 2005-2006 से लागू होगा। निर्णय का प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत है:

“30. अतः, पूर्वगामी चर्चा और एलाइड मोटर्स (सुप्रा) में दिए गए निर्णय के बाध्यकारी प्रभाव के आलोक में, हमारा विचार है कि आयकर अधिनियम की धारा 40(ए)(ia) के संशोधित प्रावधान की उदारतापूर्वक और न्यायसंगत व्याख्या की जानी चाहिए और यह धारा 40(ए)(ia) के सम्मिलित होने की तिथि से पूर्वव्यापी रूप से लागू होना चाहिए, अर्थात् निर्धारण वर्ष 2005-2006 से, ताकि किसी करदाता को प्रावधान के उद्देश्य और प्रयोजन से परे अनपेक्षित और हानिकारक परिणाम न भुगतने पड़ें। चूँकि ऊपर दर्ज धारा के संबंध में घटनाक्रम से पता चलता है कि संशोधन उपचारात्मक प्रकृति का था, इसलिए इसे पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाना चाहिए मानो संशोधित प्रावधान इसके सम्मिलित होने के समय भी मौजूद था। चूँकि करदाता ने अपना रिटर्न 01.08.2005 को, अर्थात् आयकर अधिनियम की धारा 139 के प्रावधानों के तहत नियत तिथि के अनुसार दाखिल किया है, इसलिए उसे वित्त अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन का लाभ लेने की अनुमति है। 2010 से आईटी अधिनियम की धारा 40(ए)(आईए) के प्रावधानों को संशोधित किया गया है।

10. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, मूल प्रश्न संख्या 3 अपीलकर्ता-विभाग के विरुद्ध और करदाता के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

11. उपरोक्त के आलोक में, अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(आशुतोष कुमार), न्यायमूर्ति

(अवनीश झिंगन), न्यायमूर्ति

आरजू अरोड़ा/रिया/72

क्या रिपोर्ट योग्य है: हाँ

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं

ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी